प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 20.07.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास धारा 363,366,368 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के 01 आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 100000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एडीजे-08 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कोतवाली में अभियुक्त 1.सौरभ दीक्षित पुत्र कृष्ण मुरारी, निवासी नई बस्ती रेती, थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1,00000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरणः-

- सौरभ दीक्षित पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी नई बस्ती रेती थाना रामचन्द्र मिशन।

घटना व सजा का विवरणः-

मु0अ0सं0 124/2019 धारा 363,376,368 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर में अभियुक्त 1.सौरभ दीक्षित पुत्र कृष्ण मुरारी, निवासी नई बस्ती रेती, थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1,00000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।